## लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2016

पीठासीन अधिकारी : श्री पर्वतसिंह चुण्डावत, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 60/2016

2016/00169

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

मगनाराम पुत्र केनाराम कौम कुम्हार राजस्थान सरकार तहसीलदार

**राजस्व वाद बाबत अन्तर्गत 88 राजस्थान काश्तकार अधिनियम, 1955 एवं अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम1956**

**तारीख रजूः 2/06/2016**

उपस्थितः. वादीगण

**-:: निर्णय ::-** दिनॉकः- 02/06/2016

"लोक अदालत / केम्प कोर्ट -2016 में राज्य सरकार के निर्देशानुसार मजमा-ए-आम शिविर ग्राम पंचायत कोटडी पर आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट" में वादीगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध प्रतिवादी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा गुडा पृथ्वीराज पटवार हल्का कोटडी के जमाबंदी संवत् 2071-2074 के खाता संख्या 72 प्रार्थी का नाम मगना पुत्र केनाराम कौम कुम्हार के स्थान पर मगना वल्द केशा कौम कुम्हार दर्ज हो गया जो कि गलत दर्ज हुआ है। अतः इसे दुरस्त करने हेतू प्रार्थी द्वारा वाद मय दस्तावेजात् प्रस्तुत किया गया।

पटवारी हल्का दादाई व भू.अ.नि दादाई की रिर्पोट ली गई एवं तहसीलदार देसूरी की अनुशंषा वादी मगना पुत्र केनाराम कौम कुम्हार का नाम मौजा ग्राम दादाई अन्य जमाबंदी संवत् 2041-2060 के खाता संख्या 89 में मगना वल्द केना दर्ज होना बताया गया। उस आधार पर जमाबंदी संवत् 2071-2074 क खाता संख्या 72 में भी वादी का नाम दुरस्त किया जाना उचित है।

इस हेतू ग्राम गुडा पृथ्वीराज के मूलाराम पुत्र घीसाराम एवं कपूरचंद कुम्हार पुत्र गमनाराम कुम्हार के बयान कलमबद्व किये गये जिसमें बयानकर्ताओ द्वारा मगना पुत्र केनाराम कौम कुम्हार ही वादी का नाम होना बताया।

हमने पत्रावली प्रस्तुत दस्तावेजात,पटवारी व भू.अ.नि. की रिर्पोट गवाह के मूलाराम पुत्र घीसाराम एवं कपूरचंद कुम्हार पुत्र गमनाराम कुम्हार बयानो के अवलोकन करने से स्पष्ट साबित होता है कि वादीगण का नाम दुरस्त किया जाकर वादपत्र डिक्री करना उचित समझता हूँ।

## -:: आदेश ::-

अतः अन्तिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि वादीगण का नाम मौजा ग्राम गुडा पृथ्वीराज पटवार हल्का कोटडी के जमाबंदी संवत् 2071-2074 के खाता संख्या 72 में मगना वल्द केशा कौम कुम्हार के स्थान पर मगनाराम पुत्र केनाराम कौम कुम्हार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। निर्णय,डिक्री पर्चा की प्रति, तहसीलदार, देसूरी को तरमीम हेतू भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेखा भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, देसूरी
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 02/06/2016 को लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2016 शिविर अटल सेवा केन्द्र कोटडी में सरे मजमा आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, देसूरी
जिला.पाली (राज0)

**डिक्री बमुकदमें इब्तदाई**

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- देसूरी

बईजलास :- **श्री पर्वतसिंह चुण्डावत , आर0ए0एस0**

वादीगण :- बनाम प्रतिवादीगण :-

मगनाराम पुत्र केनाराम कौम कुम्हार राजस्थान सरकार तहसीलदार

**राजस्व वाद बाबत् घोषणा,** **मु0न0 :रा0वा0 स0: 60/2016**
**अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकार अधिनियम, 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956**

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ..........-........ व हाजरी . ......................................., वादीगण मिनजानिब मुद्धई व ........................................, प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा अन्तिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि अतः अन्तिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि वादीगण का नाम मौजा ग्राम गुडा पृथ्वीराज पटवार हल्का कोटडी के जमाबंदी संवत् 2071-2074 के खाता संख्या 72 में मगना वल्द केशा कौम कुम्हार के स्थान पर मगनाराम पुत्र केनाराम कौम कुम्हार दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। निर्णय,डिक्री पर्चा की प्रति, तहसीलदार, देसूरी को तरमीम हेतू भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेखा भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर कोटडी के आज तारीख 02/06/2016 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

उपखण्ड अधिकारी,देसूरी
(जिला-पाली)

---

| मुद्धई | रूपये | पैसे | मुद्धायलाह | रूपये | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा .............. | | | स्टाम्प वकालतनामा .............. | | |
| स्टाम्प वकालतनामा .............. | | | स्टाम्प अर्जी .............. | | |
| स्टाम्प वजह सबूत .............. | | | महनताना वकील .............. | | |
| महनताना वकील .............. | | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान .............. | | | फीस कमीश्नर .............. | | |
| फीस कमीश्नर .............. | | | बाबत ईजराय हुक्मनामा .............. | | |
| बाबत ईजराय हुक्मनामा .............. | | | मुतफरिक .............. | | |
| मिजानः- | | | मिजानः- | | |

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)